प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 27.06.2025

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 25.06.2025 को वादी श्री कुलदीप निवासी गोल्ड कोस्ट जीएट-7 सोसायटी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर लिखित सूचना दी कि अज्ञात चोर द्वारा पार्किंग से वादी की मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 26.06.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल इन्पुटस के आधार पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए उपरोक्त घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. दीपू पुत्र देवेन्द्र कुमार निवासी सैन विहार गली नं0-13 थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष 2. अभय पुत्र हरिकिशन निवासी सैन विहार गली न0-13 थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को रिछपाल गढी की पुलिया के पास से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से उपरोक्त घटना से सम्बन्धित चोरी की 01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट के बरामद हुयी। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2)/317(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ पर अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि 02 दिन पहले हमने यह मोटरसाइकिल गोल्ड कोस्ट जीएच-7 सोसायटी की पार्किंग से चोरी की थी तथा पुलिस से बचने के लिए हमने मोटरसाइकिल की नम्बर प्लेट को हटा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. दीपू पुत्र देवेन्द्र कुमार निवासी सैन विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष
2. अभय पुत्र हरिकिशन निवासी सैन विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध मे थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम---थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा अवैध असलाह के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

आज दिनांक 27.06.2025 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त रामचन्द्र पुत्र पीतम सिंह हाल निवासी सतीश कॉलोनी डासना वेव सिटी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम पांची थाना खरखौदा जनपद मेरठ उम्र करीब 58 वर्ष को चौकी क्षेत्र डासना से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना

वेव सिटी पर आयुध अधिनियम की धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं यह अवैध तमंचा लोगों को अपना रोब दिखाने के लिये रखता हूँ। इस तमंचा के साथ मेरी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

रामचन्द्र पुत्र पीतम सिंह हाल निवासी सतीश कॉलोनी डासना वेव सिटी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम पांची थाना खरखौदा जनपद मेरठ उम्र करीब 58 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना वेव सिटी पर आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम--- थाना वेव सिटी पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा विभिन्न बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर बीमा पॉलिसी बेचने के नाम पर कूटरचित पालिसी बनाकर साइबर फ्रॉड करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के 07 सदस्य गिरफ्तार, 26 मोबाइल फोन, 06 चेकबुक,03 पासबुक,14 एटीएम कार्ड ,04 सिम कार्ड, महिन्द्रा थार तथा XUV 300 कार बरामद, कुल 4.5 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की घटनाओं से सम्बन्धित 4 राज्यों की 9 घटनाओं का अनावरण, 1 लाख 98 हजार रुपये नगद बरामद।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा फोन पर विभिन्न बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर बीमा पॉलिसी बेचने के नाम पर कूटरचित पालिसी बनाकर साइबर फ्रॉड करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के सदस्य अभियुक्त अमन अग्रवाल, राहुल यादव, आफताब आलम, राहुल शर्मा, दीपक, गर्वित त्यागी तथा जगजीत सिंह को साइबर अपराध में प्रयुक्त 26 अदद मोबाइल फोन, 06 अदद चेकबुक, 03 अदद पासबुक, 14 अदद एटीएम कार्ड, 04 अदद सिम कार्ड, 1 लाख 98 हजार रुपये नगद, महिन्द्रा थार तथा XUV 300 कार के साथ थाना क्षेत्र विजय नगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तों द्वारा 4.5 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है एवं 4 राज्यों की 9 घटनाओं का अनावरण किया गया है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त अमन अग्रवाल पुत्र राजेश अग्रवाल ने पूछने पर बताया कि वो वर्ष 2021 में नोएडा में HAXR COMPANY में नौकरी करता था ।इस कम्पनी में विभिन्न बीमा पॉलिसी कम्पनी रिलायंस, भारती हेक्सा, सिगना टीटीके, एचडीएफसी तथा बजाज की जीवन पॉलिसी तथा हेल्थ बीमा पॉलिसी का अधिकृत केन्द्र था, जिसमें इन बीमा पॉलिसी कंपनियों के जीवन बीमा तथा हेल्थ बीमा पॉलिसी के धारकों को पॉलिसी से सम्बन्धित जानकारी दी जाती थी। इस कंपनी में उसके साथ राहुल शर्मा काम करता था। इसके बाद अमन तथा राहुल शर्मा ने HAXR कंपनी से इन बीमा पॉलिसी कम्पनियों के पॉलिसी धारकों की पर्सनल डिटेल प्राप्त की। इसके बाद अमन तथा राहुल शर्मा ने

HAXR कंपनी से नौकरी छोड़ दी और अपने अन्य साथियों राहुल यादव , आफताब, दीपक जगजीत तथा गर्वित त्यागी के साथ मिलकर इन बीमा पॉलिसी कंपनियों का ग्राहक सेवा अधिकारी बनकर इन बीमा पॉलिसीयों के पॉलिसी धारकों के मोबाइल नम्बरों पर बीमा पॉलिसियों को रिन्यू कराने तथा बीमा पॉलिसी में अधिक लाभों का झूठा लालच देते थे क्योंकि इनके पास पॉलिसी धारकों की पुरानी बीमा पॉलिसी का पूरा डाटा मौजूद रहता था जिससे इन लोगों पर किसी को शक नही होता था। पॉलिसी धारकों को नई पॉलिसी कराने की सलाह देते थे तथा पॉलिसी धारकों से पैसे ट्रांसफर कराने के लिए म्यूल बैंक खातों की डिटेल देते थे और पॉलिसी धारक इनके द्वारा दिये गये खातों मे बीमा पॉलिसी का पैसा ट्रांसफर कर देते थे और इसके बाद ये लोग पॉलिसी धारक को बीमा पॉलिसियों के नाम पर Canva Software की मदद से फर्जी व कूटरचित बीमा पॉलिसी तैयार कर उपलब्ध करा दिया करते थे।

ये लोग पॉलिसी धारकों को फोन करने के लिए फर्जी आईडी के प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड मुकेश नामक व्यक्ति उपलब्ध कराता था तथा अमन ने विलास, गणेश तथा भूपेश को कुछ पैसों का लालच देकर इनसे बैंक खाते तथा उन खातों के एटीएम, चैक बुक प्राप्त कर इन्ही बैंक खातों में साइबर फ्रॉड का पैसा ट्रांसफर कराते थे और इन खातों से ये लोग एटीएम के माध्यम से पैसे निकाल लेते थे।

थाना मधुबन बापूधाम से नागपुर के साइबर फ्रॉड के एक मुकदमे में कुछ दिनों पूर्व जेल गये निशान्त त्यागी उर्फ काकू काल सेन्टर के माध्यम से इस तरह का फ्रॉड करने का अभ्यस्त अपराधी है, अमन की जान पहचान निशान्त त्यागी उर्फ काकू से HAXR कंपनी में हुई थी और निशान्त त्यागी से इन लोगों ने पॉलिसीधारकों को कॉल करने के लिए पुराने मोबाइल खरीदे थे और निशान्त त्यागी इन लोगों के पास मौजूद बैंक खातों में पॉलिसी धारकों की बीमा पॉलिसी के पैसे भी ट्रांसफर कराता था जिसमें से इन लोगों को 10 प्रतिशत कमीशन मिलता था। एटीएम से पैसे निकालकर ये लोग आपस में बांट लिया करते थे। बाद में ये लोग खुद सीधे काल करके फ्रॉड करने लगे। इन लोगों ने अब तक करीब 4.5 करोड़ रुपये साइबर फ्रॉड से कमाये हैं। अमन ने महिन्द्रा थार गाड़ी एवं राहुल शर्मा ने XUV 300 गाड़ी साइबर फ्रॉड से कमाये पैसों से खरीदी हैं, ये लोग इन गाड़ियों में बैठकर साइबर फ्रॉड की कालिंग का काम भी करते थे ।

इन लोगों से बरामद मोबाइल फोन, बैंक खाते तथा मोबाइल फोन में उपलब्ध कूटरचित बीमा पालिसियों से 4 राज्यों की कुल 9 घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के विजेन्द्र कुमार पटेल थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़, हरिओम थाना गुरसाराई, झांसी, गुजरात राज्य के प्रमोद थाना मेघपुर पडना, जामनगर, हसमुख भाई थाना शोला हाईकोर्ट, अहमदाबाद, मंनसुखभाई थाना बच्चू, कच्छ पूर्वी, कर्नाटक राज्य के सिंधु श्री टीके थाना संजयनगर, बेगलूरु सिटी के साथ हुई साइबर अपराध की घटना NCRP पोर्टल पर पंजीकृत है, तथा इन लोगों द्वारा कर्नाटक राज्य के बंगलुरू सिटी के जयन्ना एच.एस. के साथ करीब 1 करोड़ 69 लाख रुपये की ठगी एवं महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले के श्री विजय सोनटके के साथ करीब 54 लाख रुपये की ठगी के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत हैं।

अभियुक्तों के मोबाइल फोन से बरामद विभिन्न बीमा कम्पनियों की 56 कूटरचित बीमा पालिसियों के विश्लेषण से उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़, गाजीपुर, लखनऊ, कन्नौज, सन्त रविदास नगर, झांसी, गोंडा, देवरिया पंजाब राज्य के मोंगा, मध्य प्रदेश राज्य के सागर, रीवा, छतरपुर, बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर, महाराष्ट्र राज्य के नागपुर, झारखण्ड राज्य के रामगढ़, वेस्ट बंगाल के कोलकाता, राजस्थान राज्य के जोधपुर, गुजरात राज्य के भावनगर, अहमदाबाद, नई

दिल्ली, शाहदरा ईस्ट दिल्ली के कई लोगों के साथ साइबर धोखाधड़ी की घटना का पता चला है इनसे सम्पर्क कर घटना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तों ने विभिन्न बीमा कम्पनियों की अब तक करीब 4.5 करोड़ रुपये मूल्य की 1500 कूटरचित पॉलिसी बनाकर साइबर फ्रॉड करना स्वीकार किया है।

अभियुक्तों द्वारा संगठित रूप से विभिन्न राज्यों के भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ काफी समय से लगातार साइबर अपराध कारित किया जा रहा है, अत: इनके विरुध्द अन्य सुसंगत धाराओं के साथ संगठित अपराध के लिये दण्डनीय भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त प्रकरण में अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को श्रीमान पुलिस आयुक्त गाजियाबाद महोदय द्वारा 50,000/- रुपयों का पुरस्कार घोषित किया गया है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण-</u>

अमन अग्रवाल पुत्र राजेश अग्रवाल निवासी गली नं -10,85,बालाजी एन्कलेव 86, गोविन्दपुरम, कमिश्नरेट गाजियाबाद हाल पता-ई -2, 1130, जीएच 07, क्रासिंग रिपब्लिक, थाना क्रासिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष, शिक्षा – बी. कॉम ।

राहुल यादव पुत्र लक्ष्मी यादव निवासी न्यु उस्मानपुर, पहला पुस्ता, गली नं0- 10, थाना शास्त्री पार्क, दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष शिक्षा – 12 वीं।

1. आफताब आलम पुत्र स्वहसीन निवासी म0नं0 मौ0 0- 756, सैफीयान मौहल्ला, बड़ी मस्जिद के पास, मसूरी थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष, शिक्षा - 12 वीं।
2. राहुल शर्मा पुत्र राजीव शर्मा निवासी मुबारिकपुर, सलामतपुर, कुचेसर रोड चौपला जनपद हापुड़, हाल पता गली नं0- 05, अर्स ग्रीन, टावर बी, फ्लोर 2, 110फ्लेट नं 0क्रासिंग रिपब्लिक थाना क्रासिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र वर्ष 23, शिक्षा - 12 वीं।
3. दीपक पुत्र नैमपाल सिंह निवासी ग्राम गैंदपुर शेखपुर, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर, हाल पता पैरामाउन्ट सिम्फनी क्रासिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र वर्ष 26, शिक्षा - 12 वीं।
4. गर्वित त्यागी पुत्र देवेन्द्र त्यायी निवासी कुचेसर रोड चौपला जनपद हापुड़ उम्र वर्ष 24, शिक्षा – बी. फार्मा।
5. जगजीत सिंह पुत्र नाथा सिंह निवासी मीरपुर खुर्द, नियर गुरुद्वारा, सरदुल गढ़, मानसा, पंजाब उम्र वर्ष 28, शिक्षा - 12 वीं।

<u>बरामदगी का विवरण</u> –

26 अदद मोबाइल फोन, 06 अदद चेकबुक, 03 अदद पासबुक, 14 अदद एटीएम कार्ड, 04 अदद सिम कार्ड, 56 कूटरचित बीमा पोलिसी, 1 लाख 98 हजार रुपये नगद, महिन्द्रा थार तथा XUV 300 कार।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम-</u>

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।